इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 453] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 नवम्बर 2021–कार्तिक 27, शक 1943

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2021

सूचना

क्र. एफ–4–2–2021–छब्बीस–2.– नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (2019 का 40) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, अधिनियम की उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस की अवधि का अवसान होने के पश्चात् उक्त प्रारूप नियम पर विचार किया जाएगा.

किन्हीं भी ऐसी आपत्तियों या सुझावों पर, जो प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के कार्यालय में उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हों, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात् :–

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2021 है.

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.

(3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषा.–

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (2019 का 40);

(ख) ''शपथ पत्र'' से अभिप्रेत है, अपने स्व–चिन्हित लिंग की पहचान का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए किसी आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्ररूप–2 में स्व–प्रमाणित शपथ पत्र;

(ग) "आवेदक" से अभिप्रेत है, कोई उभयलिंगी व्यक्ति जो नियम 3 के अधीन आवेदन प्रस्तुत करता है;

(घ) "आवेदन" से अभिप्रेत है, प्ररूप–1 में यथा उपबंधित आवेदन पत्र;

(ड.) ''कोई आधिकारिक दस्तावेज'' से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित हैं उपाबंध–1 में सूचीबद्ध सभी दस्तावेज, जिन्हें राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पुनरीक्षित कर सके;

(च) "अपील प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, संभागीय आयुक्त (राजस्व);

(छ) "पहचान प्रमाण–पत्र" से अभिप्रेत है, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनियम की धारा 6 अथवा धारा 7 के अधीन क्रमशः प्ररूप –3 अथवा प्ररूप –4 के रूप में जारी प्रमाण पत्र;

(ज) ''भेदभाव" से अभिप्रेत है, लैंगिक पहचान और अभिव्यक्ति के आधार पर कोई भेदभाव, बहिष्कार या प्रतिबंध, जिसका प्रयोजन या प्रभाव, दूसरों के साथ बराबरी के आधार पर, सभी मानवाधिकारों और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक या किसी अन्य क्षेत्र में मौलिक स्वतंत्रताओं और इसमें उचित आवास से इनकार सहित सभी प्रकार के भेदभाव सम्मिलित हैं, की मान्यता, उपभोग या प्रयोग को कम करना या निष्प्रभावी करना है;

(झ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ञ) "पहचान पत्र" से अभिप्रेत है, इन नियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी "पहचान प्रमाण–पत्र" अथवा किसी राज्य प्राधिकारी द्वारा किसी उभयलिंगी व्यक्ति को जारी किए गए "पहचान पत्र'' के आधार पर धारा 6 के अधीन प्ररूप–5 में उल्लिखित किसी उभयलिंगी व्यक्ति को जारी

अथवा धारा 7 के अधीन लिंग परिवर्तन पर किसी उभयलिंगी व्यक्ति को प्ररूप–6 में जारी फोटो पहचान पत्र;

(ट) "चिकित्सा संस्थान" से अभिप्रेत है, ग्रामीण क्षेत्रों अथवा शहरी क्षेत्रों अथवा विदेश में स्थित कोई चिकित्सा संस्थान चाहे वह निजी अथवा सरकारी अस्पताल या क्लीनिक हो;

(ठ) ''प्रक्रिया'' से अभिप्रेत है, धारा 6 अथवा धारा 7 के अधीन पहचान प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(ड) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा;

(ढ) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य।

(2) अन्य समस्त शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो अधिनियम में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए है, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।

3. पहचान प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए आवेदन.–

(1) पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त करने का इच्छुक उभयलिंगी व्यक्ति, प्ररूप–1 में यथाविहित आवेदन करेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन सुविधाएं विकसित किए जाने तक आवेदन जिला मजिस्ट्रेट को व्यक्तिगत अथवा डाक द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे और तत्पश्चात् आवेदन किया जाएगा :

परंतु राज्य सरकार दूरस्थ क्षेत्रों अथवा अलाभकारी परिस्थितियों में रहने वाले उभयलिंगी व्यक्तियों द्वारा पहचान प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत करने को सुकर बनाने हेतु ऐसे उपाय अपना सकेगी जैसे कि वह आवश्यक समझे :

परंतु यह और कि अवयस्क बच्चे के मामले में, ऐसा आवेदन ऐसे अवयस्क बच्चे के माता–पिता अथवा अभिभावक द्वारा तथा देखरेख और संरक्षण के

जरूरतमंद बच्चे के मामले में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) ऐसे उभयलिंगी व्यक्ति से, जिन्होंने अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व चाहे पुरुष, महिला या उभयलिंगी के रूप में, लिंग परिवर्तन आधिकारिक रूप से दर्ज कराया है, इन नियमों के अधीन पहचान प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी:

परंतु ऐसे व्यक्ति अधिनियम के अधीन किसी उभयलिंगी व्यक्ति को प्रदत्त सभी अधिकारों और पात्रताओं का लाभ उठाएंगे।

(4) राज्य सरकार दूरस्थ क्षेत्रों अथवा वंचित परिस्थितियों में रहने वाले उभयलिंगी व्यक्तियों द्वारा पहचान प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, नायब तहसीलदार को प्रस्तुत करेगी ।

4. धारा 6 के अधीन पहचान प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए प्रक्रिया.–

(1) जिला मजिस्ट्रेट प्ररूप–2 में किसी व्यक्ति के लिंग पहचान की घोषणा करने वाले प्रस्तुत शपथ–पत्र के आधार पर, किन्तु किसी चिकित्सा जांच के बिना सत्यता के अध्यधीन रहते हुए आवेदन पर कार्यवाही करेगा और आवेदक की एक पहचान संख्या जारी करेगा, जिसे आवेदन के प्रमाण के रूप में उदृत किया जा सकेगा।

(2) निवास स्थान के निर्धारण के प्रयोजन के लिए आवेदक को आवेदन की तारीख से पिछले बारह माह की नियमित कालावधि के लिए जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले क्षेत्र का निवासी होना चाहिए और प्ररूप–2 में इस प्रभाव का एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा कोई अतिरिक्त साक्ष्य नहीं मांगी जाएगी।

5. धारा 6 के अधीन किसी उभयलिंगी व्यक्ति के लिए पहचान प्रमाण पत्र का जारी किया जाना–

(1) जिला मजिस्ट्रेट, नियम 4 में उपबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए ऐसे व्यक्ति का लिंग उपदर्शित करते हुए प्ररूप–3 में आवेदक को पहचान प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(2) उक्त पहचान प्रमाण–पत्र, शपथ पत्र के साथ सम्यकरूप से भरे गए आवेदन के प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर जारी किया जाएगा।

(3) उप–नियम (1) के अधीन जारी पहचान प्रमाण–पत्र, उपबंध–1 में उक्त पहचान प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट लिंग के अनुसार में यथा–उपबंधित ऐसे सभी आधिकारिक दस्तावेजों में उभयलिंगी व्यक्ति को, यदि ऐसा आवश्यक हो तो उसके नाम और छायाचित्र के साथ ही साथ लिंग परिवर्तित करने का आधार होगा।

(4) जिला मजिस्ट्रेट उप–नियम (1) के अधीन पहचान प्रमाण–पत्र जारी करते समय, आवेदक को प्ररूप–5 में उल्लिखित उभयलिंगी पहचान पत्र जारी करेगा।

(5) उभयलिंगी पहचान पत्र को राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा के प्रयोजनों के लिए अपने अभिलेखों में अन्तर्विष्ट किया जाएगा।

(6) कोई प्राधिकारी जिसने नियम 3 के अधीन किसी आवेदक द्वारा दिए गए आवेदन पर आधिकारिक दस्तावेज जारी किए थे, ऐसा आवेदन किए जाने के पन्द्रह दिन के भीतर आधिकारिक दस्तावेजों में आवेदक का नाम अथवा लिंग अथवा दोनों को परिवर्तित करेगा।

(7) कोई आधिकारिक दस्तावेज, जिसमें उभयलिंगी का लिंग, नाम और छायाचित्र उक्त पहचान प्रमाण–पत्र के आधार पर पुनरीक्षित किया गया है, उसमें वही क्रम संख्या अथवा संदर्भ संख्या होगी जैसी कि ऐसे उभयलिंगी व्यक्ति, जो आधिकारिक दस्तावेजों में नाम या लिंग या दोनों में परिवर्तन कराने की वांछा रखता है के मूल आधिकारिक दस्तावेजों में हो :

परंतु समस्त अभिलाभ जिसका कि कोई उभयलिंगी व्यक्ति किसी राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र, यदि कोई हो, के आधार पर लाभ प्राप्त करने का पात्र था, उनका इन नियमों के अधीन जारी पहचान प्रमाण–पत्र के आधार पर उस उभयलिंगी व्यक्ति द्वारा अभिलाभ प्राप्त किया जाता रहेगा।

6. लिंग परिवर्तन के लिए पहचान प्रमाण–पत्र जारी किए जाने के लिए प्रक्रिया.–

(1) यदि कोई उभयलिंगी व्यक्ति या तो पुरुष या महिला के रूप में लिंग परिवर्तन के लिए चिकित्सीय अन्तःक्षेप से होकर गुजरता है तो ऐसा व्यक्ति उस चिकित्सा संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा, जिसमें वह व्यक्ति उक्त चिकित्सीय अन्तःक्षेप से होकर गुजरा है जारी उस प्रभाव के

प्रमाण–पत्र के साथ, धारा 7 के अधीन पुनरीक्षित पहचान प्रमाण–पत्र जारी किए जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को प्ररूप–1 में आवेदन कर सकेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट, उप–नियम (1) में निर्दिष्ट किसी आवेदन की प्राप्ति पर उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र की सत्यता का सत्यापन करेगा।

(3) निवास स्थान के निर्धारण के प्रयोजन के लिए आवेदक को आवेदन की तारीख से पिछले बारह माह की नियमित अवधि के लिए जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले क्षेत्र का निवासी होना चाहिए और प्ररूप–1 में आवेदन के साथ इस प्रभाव का एक शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा कोई अतिरिक्त साक्ष्य नहीं मांगी जाएगी।

7. पहचान प्रमाण–पत्र जारी किया जाना–

(1) जिला मजिस्ट्रेट धारा 7 के अधीन लिंग परिवर्तन चाहने वाले प्ररूप–4 में उल्लिखित आवेदक को, यथास्थिति, पुरूष या महिला के रूप में ऐसे व्यक्ति का लिंग दर्शित करते हुए, एक पुनरीक्षित प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट इसकी प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर उप–नियम (1) के अधीन पुनरीक्षित प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(3) उप–नियम (1) के अधीन जारी किया गया पहचान प्रमाण–पत्र आवेदक को उपबंध–1 में उपबंधित सभी ऐसे आधिकारिक दस्तावेजों में, यदि ऐसा आवश्यक होतो, उभयलिंगी व्यक्ति के लिंग, छायाचित्र के साथ साथ नाम को उक्त पहचान प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट लिंग के अनुसार, यथास्थिति, पुरूष या महिला के रूप में अभिलिखित या परिवर्तित करने का हकदार बनाएगा।

(4) जिला मजिस्ट्रेट लिंग परिवर्तन के लिए पहचान प्रमाण–पत्र जारी करते समय, आवेदक को प्ररूप– 6 में उल्लिखित पहचान पत्र जारी करेगा।

(5) राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा के प्रयोजन के लिए उनके अभिलेखों में पहचान प्रमाण–पत्र तथा पहचान पत्र का जारी किया जाना अंतर्विष्ट किया जाएगा।

(6) आधिकारिक दस्तावेज जारी करने वाला प्राधिकारी, नियम 3 के अधीन किसी आवेदक द्वारा किए गए आवेदन पर, ऐसे आवेदन किए जाने के पन्द्रह दिन के

भीतर आधिकारिक दस्तावेजों में आवेदक का नाम या लिंग या दोनों को परिवर्तित करेगा।

(7) कोई भी आधिकारिक दस्तावेज जिसमें उक्त पहचान प्रमाण–पत्र के आधार पर उभयलिंगी का लिंग, नाम या छायाचित्र पुनरीक्षित किया जाए, उसमें वही अनुक्रमांक या संदर्भ संख्या होगी, जैसे कि ऐसे उभयलिंगी व्यक्ति के मूल आधिकारिक दस्तावेज में है, जो आधिकारिक दस्तावेजों में नाम या लिंग या दोनों में परिवर्तन चाहता है।

8. **आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की संसूचना.–**

(1) नियम 3 के अधीन किए गए आवेदन के अस्वीकृत किए जाने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट, आवेदक को ऐसी अस्वीकृति के लिए कारण या कारणों को संसूचित करेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट ऐसी अस्वीकृति की तारीख से तीस दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उठाई गई आपत्तियों का अनुपालन करने वाले आवेदक द्वारा किए गए किसी अनुरोध के आधार पर आवेदन की अस्वीकृति के विनिश्चय की समीक्षा कर सकेगा।

9. **अपील का अधिकार.–** आवेदक को आवेदन की अस्वीकृति की सूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर अंतिम आदेश के लिए राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी को अपील करने का अधिकार होगा।

10. **सरकार द्वारा उभयलिंगी व्यक्तियों के कल्याण, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के उपाय .–**

(1) उभयलिंगी व्यक्तियों को उनके अधिकारों और हितों की रक्षा करने तथा सरकार द्वारा बनाई गई ऐसी योजनाओं तथा कल्याण संबंधी उपायों तक उनकी पहुंच को सुकर बनाने के लिए, सम्मिलित करने हेतु राज्य सरकार सभी विद्यमान शैक्षणिक, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य योजनाओं, कल्याण उपायों, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्व–रोजगार योजनाओं की समीक्षा करेगी।

(2) राज्य सरकार, उपाबंध–दो में यथा–विनिर्दिष्ट शैक्षणिक, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं और कल्याण योजनाओं तथा कार्यक्रमों को इस रीति में तैयार

करेगी जो उभयलिंगी व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील, गैर–कलंकित और भेदभाव रहित हों ।

(3) राज्य सरकारें, अपने कार्यक्षेत्र के अधीन किसी सरकारी अथवा निजी संगठन, शैक्षणिक संस्था में भेदभाव को प्रतिषेधित करने और कब्रिस्तानों सहित सामाजिक और सार्वजनिक स्थानों तक साम्या पूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाएंगी।

(4) राज्य क्षेत्र सरकार, उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर अधिनियम की धारा 12 की उप–धारा (3) में निर्दिष्ट पुनर्वास केन्द्र सहित किंतु उन तक सीमित नहीं होने वाली संस्थागत और अवसंरचनात्मक सुविधाएं, पृथक् हयूमन इम्यूनो डेफीशिएंसी वायरस सीरो–सर्विलांस सेंटर, चिकित्सालयों में पृथक् वार्ड और प्रतिष्ठान में पृथक् शौचालय सृजित करेगी।

(5) राज्य सरकार कल्याण योजनाओं के लाभों को अपने लिए प्राप्त करने के लिए, उभयलिंगी व्यक्तियों को शिक्षित करने, जानकारी देने और प्रशिक्षित करने, उभयलिंगी व्यक्तियों को उनके अधिकारों के प्रति शिक्षित और प्रशिक्षित करने, उभयलिंगी व्यक्तियों के विरुद्ध कलंक और भेदभाव का उन्मूलन करने और इसके प्रभावों को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी।

(6) राज्य सरकार अपने कार्यक्षेत्र के अधीन आने वाले विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और संकाय के संवेदीकरण के लिए उपबंध करेगी जैसी कि–

(क) समानता और लैंगिक विविधता के लिए, सम्मान को प्रोत्साहन देने के लिए शैक्षणिक पाठ्यचर्या में परिवर्तन;

(ख) स्वास्थ्य सेवा व्यवसाइयों का संवेदीकरण;

(ग) चिकित्सा शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या में परिवर्तन; और

(घ) कार्यस्थलों में संवेदीकरण कार्यक्रम।

(7) सभी शैक्षणिक संस्थानों में यह सुनिश्चित करने की शक्ति के साथ एक समिति होगी, कि उभयलिंगी छात्र, उन्हें धमकाने वाले व्यक्तियों, जिसमें शिक्षक भी सम्मिलित हैं, की उपस्थिति से प्रभावित न हों, जहां उभयलिंगी व्यक्ति किसी उत्पीड़न या भेदभाव की दशा में संपर्क कर सकेंगे।

(8) राज्य सरकार, उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर अस्थायी आश्रयों, अल्पावास गृहों और चिकित्सालयों में पुरुष, महिला अथवा पृथक् वार्ड के विकल्प के साथ वास सुविधा और प्रतिष्ठान में शौचालयों सहित किंतु उस तक समिति न रहने वाली संस्थागत और अवसंरचनात्मक सुविधाएं सृजित करेगी।

(9) राज्य सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं तथा कल्याण संबंधी उपायों के प्रयोजन के लिए एक राज्य उभयलिंगी कल्याण बोर्ड एवं जिला उभयलिंगी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा ।

(क) राज्य उभयलिंगी कल्याण बोर्ड .–

(एक) राज्य उभयलिंगी कल्याण बोर्ड का गठन निम्नानुसार किया जाएगा:–

1.	माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग	सदस्य सचिव
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, जेल विभाग, वित्त विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, राजस्व विभाग, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, श्रम विभाग, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, विधि और विधायी कार्य विभाग, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, जनसंपर्क विभाग	सदस्य

4.	उभयलिंगी समुदाय से पांच प्रतिनिधि	सदस्य
5.	उभयलिंगी समुदाय के कल्याण के लिए कार्यरत् दो समाज सेवी	सदस्य
6.	राज्य महिला आयोग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
7.	मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
8.	आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग	सदस्य

(दो) राज्य स्तरीय उभयलिंगी कल्याण बोर्ड के सम्मिलन वर्ष में दो बार आयोजित किए जाएंगे तथा सम्मिलन की गणपूर्ति एक तिहाई सदस्यों से होगी।

(ख) जिला उभयलिंगी कल्याण बोर्ड .–

(एक) जिला उभयलिंगी कल्याण बोर्ड का गठन निम्नानुसार किया जाएगाः–

1.	कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
5.	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
6.	आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिक निगम/नगर पालिका	सदस्य
7.	महाप्रबंधक, जिला उद्योग व्यापार केन्द्र	सदस्य
8.	नोडल महाविद्यालय, उच्च शिक्षा	सदस्य
9.	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास	सदस्य
10.	जिला लीड बैंक मेनेजर	सदस्य
11.	परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण	सदस्य

12.	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक	सदस्य
13.	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग	सदस्य
14.	जिला रोजगार अधिकारी	सदस्य
15.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
16.	सहायक श्रम अधिकारी, श्रम विभाग	सदस्य
17.	सहायक संचालक संस्थागत वित्त	सदस्य
18.	जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी, खाद्य विभाग	सदस्य
19.	जिला जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क विभाग	सदस्य
20.	उभयलिंगी समुदाय के चार प्रतिनिधि सदस्य	सदस्य
21.	उभयलिंगी समुदाय के कल्याण हेतु कार्यरत दो समाज सेवी	सदस्य
22.	संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग	सदस्य सचिव

(दो) जिला स्तरीय उभयलिंगी कल्याण बोर्ड के सम्मिलन वर्ष में चार बार आयोजित किए जाएगे। सम्मिलन की गणपूर्ति एक तिहाई होगी। सम्मिलन में की गई कार्रवाई के विवरण शासन/संचालनालय, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग को भेजे जाएंगे ।

11. भेदभाव के विरूद्ध उपबंध.–

(1) राज्य सरकार शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, सार्वजनिक परिवहन, जन जीवन में भागीदारी, खेल–कूद, अवकाश और मनोरंजन तथा लोक अथवा निजी पद धारण करने के अवसर सहित किसी सरकारी अथवा निजी संगठन अथवा प्रतिष्ठान में भेदभाव का प्रतिषेध करने के लिए पर्याप्त उपाय करेगी।

(2) राज्य सरकार इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उभयलिंगी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों और प्रक्रियाओं पर व्यापक नीति तैयार करेगी।

(3) उप–धारा (2) के अधीन तैयार की गई नीति में कमजोर उभयलिंगी समुदायों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए निवारक और निरोधक प्रशासनिक उपाय और पुलिस सम्मिलित होंगे।

(4) राज्य सरकार अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत व्यक्तियों के समय से अभियोजन के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगी।

(5) उभयलिंगी व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों की निगरानी करने और अधिनियम की धारा 18 के अधीन मामलों का समय से पंजीयन, जांच और अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस महानिदेशक के प्रभार के अधीन एक उभयलिंगी सुरक्षा सेल स्थापित करेगी।

12. रोजगार में समान अवसर.–

(1) प्रत्येक प्रतिष्ठान अवसंरचना समायोजनों, भर्ती, पदोन्नति और अन्य संबंधित मामलों सहित किन्तु उन तक सीमित न रहते हुए रोजगार से संबंधित किसी मामले में किसी उभयलिंगी व्यक्ति के विरुद्ध गैर–भेदभाव सुनिश्चित करने के लिए सभी उपायों को कार्यान्वित करेगा।

(2) प्रत्येक प्रतिष्ठान उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए एक समान अवसर नीति प्रकाशित करेगा।

(3) प्रतिष्ठान विशेषतः अपनी वेबसाइट पर समान अवसर नीति प्रदर्शित करेगा। ऐसा करने में असफल रहने की स्थिति में अपने परिसर में विशिष्ट स्थानों पर इसे प्रदर्शित करेगा।

(4) निजी प्रतिष्ठान की समान अवसर नीति में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे–

(क) उभयलिंगी व्यक्ति प्रतिष्ठान में अपने कर्तव्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन कर सकें, इसके लिए उन्हें अवसंरचनात्मक सुविधाएं (जैसे यूनिसेक्स शौचालय), सुरक्षा एवं बचाव के लिए उपाय (परिवहन और गार्ड) और सुविधाएं (जैसे स्वच्छता उत्पाद) प्रदान किए जाना है।

(ख) कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में कंपनी के सभी नियमों और विनियमों की प्रयोज्यता;

(ग) कर्मचारियों के लिंग की पहचान की गोपनीयता बनाए रखना।

(घ) शिकायत अधिकारियों के ब्यौरे।

13. शिकायत निवारण.–

(1) राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन नियमों के प्रवृत्त होने की अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्रत्येक प्रतिष्ठान धारा 11 के अनुसार एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करे।

(2) शिकायत अधिकारी, ऐसी शिकायत प्राप्त होने की तारीख से दो दिनों के भीतर प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करेगा।

(3) प्रतिष्ठान का प्रमुख ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई करेगा जहां उपरोक्त समय सीमाओं के अनुसार कार्रवाई नहीं की गई हो।

(4) राज्य सरकार, अधिनियम की धारा 12 की उप–धारा (1) और (2) के विशेष संदर्भ के साथ अधिनियम के अध्याय पांच के उपबंधों के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक वर्ष के भीतर शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित करेगी जो हेल्पलाइन और आउटरीच केंद्रों के माध्यम से कार्य करेगा।

(6) शिकायत निवारण तंत्र ऐसी शिकायतों के हेल्पलाइन पर आने की तारीख से तीस दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान करेगा और अधिनियम की धारा 18 में अधिकथित शास्तियों को अधिरोपित करने के लिए सक्षम होगा।

14. राष्ट्रीय परिषद्.–

(1) राष्ट्रीय परिषद् उभयलिंगी कल्याण और राज्य और स्थानीय स्तर पर अधिकारों के संरक्षण की निगरानी, समीक्षा और मूल्यांकन के मामलों पर राष्ट्रीय परिषद् के साथ समन्वय के लिए जिम्मेदार होगी।

(2) राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान अपने कृत्यों के निर्वहन को सुकर बनाने के लिए राष्ट्रीय परिषद् में सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

प्ररूप–1

(नियम 2 (घ), 3(1) और 6(1) देखिए)

उभयलिंगी पहचान प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र

*जो लागू न हो उसे काट दें

प्रति,
जिला दण्डाधिकारी,
जिला.....
मध्यप्रदेश

विषयः–उभयलिंगी पहचान प्रमाण–पत्र जारीकरने के लिए आवेदन पत्र।

1	नाम	
(एक)	नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)	
(दो)	बदला हुआ/चुना हुआ नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)	
(तीन)	(एक) और (दो) में से वह नाम जो पहचान प्रमाण–पत्र और पहचान पत्र पर छापा जाना है	
2	लिंग	
(एक)	जन्म के समय प्राप्त	
(दो)	आवेदन में अनुरोध किया गया	
3	जन्म तिथि	दिन/महीना/वर्ष
4	शैक्षणिक अर्हता	
5	वर्तमान पता	
6	स्थायी पता	
7	यदि आय का स्रोत है, तो वार्षिक आय	
(एक)	1,00,000 रुपए से कम	हां /नहीं
(दो)	रुपए1,00,001 और रुपए 3,00,000 के बीच	हां /नहीं
(तीन)	3,00,000 रुपए से अधिक, कृपया रकम उल्लिखित करें:	
8	क्या आपके पास निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है? यदि ऐसा है नीचे वर्णित प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें	
(एक)	जन्म प्रमाण–पत्र की तारीख	हां /नहीं
(दो)	आधार कार्ड	हां /नहीं
(तीन)	पैन कार्ड	हां /नहीं
(चार)	चुनाव मतदाता पहचान पत्र	हां /नहीं
(पांच)	राशन कार्ड	हां /नहीं

(छह)	पासपोर्ट	हां /नहीं
(सात)	बैंक पासबुक	हां /नहीं
(आठ)	मनरेगा कार्ड	हां /नहीं
(नौ)	जाति प्रमाण पत्र (अजा/अजजा/अपिव/अन्य)	हां /नहीं
9	चिकित्सीय इतिवृत्त (उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 7 के अधीन आवेदन करने वाले व्यक्ति का)	
(एक)	क्या आपने उभयलिंगी परिवर्तन के संदर्भ में किसी चिकित्सीय अंतःक्षेप कराया है	हां /नहीं
(दो)	कृपया ब्यौरे दें	
(तीन)	अस्पताल अथवा चिकित्सकीय संस्थान का नाम और पूरा पता	
(चार)	जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम, तारीख के साथ	
(पांच)	कोई अन्य चिकित्सीय परिस्थिति जिसे आप साझा करना चाहें	
(छह)	क्या आपको अधिनियम की धारा 6 और धारा 7 के अधीन कोई पहचान पत्र अथवा इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व राज्य प्राधिकारी द्वारा कोई अन्य पहचान पत्र जारी किया गया है? यदि ऐसा है तो संलग्न करें	
10	कोई अन्य सूचना जो आप देना चाहें	
11	क्या आपने उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2021 के प्ररूप–2 में विहित शपथ पत्र संलग्न किया है	
12	क्या आपने पासपोर्ट आकार का छायाचित्र संलग्न किया है?	हां /नहीं

संलग्नः आवेदन में यथा उल्लिखित दस्तावेज।

घोषणा

1. मैं यह घोषित करता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए विवरण सत्य और सही हैं।
2. इस आवेदन में दी गई जानकारी को गोपनीय माना जाएगा और इसे केंद्रीय/राज्य सुरक्षा अभिकरणों या विधि द्वारा उपबंधित किसी अन्य अभिकरण और सांख्यिकीय तथा नीतिगत उद्देश्यों हेतु अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति अथवा संगठन से साझा नहीं किया जाएगा।

स्थानः
दिनांकः

आवेदक का नाम और आवेदक के हस्ताक्षर अथवा बाएं हाथ के अंगूठा का निशान

प्ररूप–2

(नियम 2(ख) और 4 (1) देखिए)

पहचान पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा 10 रूपए के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ–पत्र का फार्मेट।

सिविल, जिला.....मध्यप्रदेश

मैं,.....(नाम), पुत्र/पुत्री/आश्रित पति/पत्नी .....
.....माता पिता संरक्षक/पति/पिता का नाम), आयु..... (पूर्ण वर्षों में), निवासी .....(पता),(तहसील),..... (जिला) .....(राज्य),.... ..... (पिन कोड) एतद् द्वारा सत्यनिष्ठा से निम्नानुसार अभिवचन और घोषणा करता हूं:

1. मैं उपरोक्त पते का निवासी हूं तथा यहां पिछले 12 महीनों से लगातार रहा हूं।
2 मैं अपने आप को एक उभयलिंगी व्यक्ति के रूप मे महसूस करता हूं जिसका लिंग उसके जन्म के समय प्राप्त लिंग के अनुरूप नहीं है।
3. मैं स्वयं को एक उभयलिंगी के रूप में घोषित करता हूं।
4. मैं जिला मजिस्ट्रेट को यह शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाने वाला उभयलिंग व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण), अधिनियम, 2019 की धारा 6 के अधीन बनाए गए उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2021 के अधीन उभयलिंगी व्यक्ति के रूप में पहचान प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए निष्पादित करता हूं।

*जो लागू न हो उसे काट दें।

शपथग्रहीता
(आवेदक के हस्ताक्षर)

सत्यापन

मैं, ...(नाम) एतद् द्वारा यह कथन करता हूँ कि उपरोक्त अनुक्रमांक 1 से 4 में जो भी कथित किया गया है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है।

शपथग्रहीता
(आवेदक के हस्ताक्षर)

तहसील
दिनांक
पब्लिक
मेरे द्वारा पहचाना गया

मेरे समक्ष
,अधिवक्ता नोटरी.....

प्ररूप–3
(नियम 2(ङ) तथा 5(1) देखिए)
पहचान प्रमाण–पत्र
मध्यप्रदेश शासन

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट.....

प्रमाण–पत्र धारक का छायाचित्र जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित किया जाए।

1. अधोहस्ताक्षरी को दिए गए दिनांक.....(दिनांक/माह/ वर्ष) के आवेदन के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि, (आवेदक का पूरा आवासीय पता) निवासी श्री/श्रीमती/**कुमारी (नाम) पुत्र/पुत्री/वार्ड श्री/श्रीमती** (अभिभावक या/संरक्षक का नाम)–एक उभयलिंगी व्यक्ति है।
2. उनके जन्म का नाम .....है।
3. यह प्रमाण पत्र उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 6 के साथ पठित उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण), नियम, 2021 के नियम 5 के अधीन अंतर्विष्ट उपबंधों के निबंधनों के अनुसार जारी किया जाता है।
4. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/.....साधारणतया उपरोक्त पते के निवासी हैं।
5. यह प्रमाण–पत्र धारक को सभी आधिकारिक दस्तावेजों में नाम और लिंग के परिवर्तित करने का हक प्रदान करता है।

तारीख :
स्थानः

जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर
मोहर

प्ररूप–4

(नियम 2 (ड.) और 7(1) देखिए)

लिंग परिवर्तन के लिए चिकित्सीय उपचार कराने वाले उभयलिंगी का पहचान प्रमाण–पत्र

पहचान प्रमाण–पत्र

मध्यप्रदेश शासन

प्रमाण–पत्र धारक का छायाचित्र जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित किया जाए।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट.....

1. अधोहस्ताक्षरी को चिकित्सा अधीक्षक अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अस्पताल का नाम और पूरा पता) के चिकित्सा प्रमाण–पत्र सहित प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र के आधार पर, यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/.....(नाम) पुत्र/पुत्री/आश्रित श्री/श्रीमती..... (माता–पिता अथवा संरक्षक का नाम) निवासी .....(आवेदक का पूर्ण आवासीय पता) के लिंग परिवर्तन के लिए चिकित्सीय **अन्तःक्षेप** प्रक्रिया पूर्ण कर ली है।
2. उनके जन्म का नाम ..... है
3. यह प्रमाण–पत्र उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 7 के साथ पठित उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2021 के नियम 6 के अधीन अंतर्विष्ट उपबंधों के निबंधनों के अनुसार जारी किया जाता है।
4. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री..... साधारणतया उपरोक्त पते के निवासी हैं।
5. यह प्रमाण–पत्र धारक को सभी आधिकारिक दस्तावेजों में नाम और लिंग परिवर्तित करने का हक प्रदान करता है।
6. नाम और लिंग में इस प्रकार का बदलाव और इस प्रमाण–पत्र को जारी करने से इस प्रमाण पत्र धारक के सभी अधिकारों और पात्रताओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

तारीखः
स्थानः

जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर
मोहर

प्ररूप–5
(नियम 2 (छ) और 5(4) देखिए)
पहचान पत्र

पहचान पत्र का सम्मुख भाग

मध्यप्रदेश राज्य शासन

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट .....
पहचान पत्र

पहचान पत्र संख्या : .....
नाम :.....
माता का नाम** : .....
पिता अथवा संरक्षक का नाम** : .....
लिंग : ...
जन्म तिथि : . ..... दिनांक / माह / वर्ष
अथवा
पहचान पत्र जारी करने के लिए आवेदन की दिनांक को आयु: ..... वर्ष
प्राधिकारी के प्रमाण–पत्र का संदर्भ क्रमांक जिसके आधार पर यह कार्ड जारी किया गया:.....

कार्ड धारक
का छायाचित्र

पहचान पत्र का पृष्ठ भाग

**केवल किसी अवयस्क बच्चे के नाम कीदशा में

वर्तमान पता : .....
स्थायी पता:.....
कार्ड जारी करने की तिथि : .....
जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर : .....
पद नाम: .....

जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर : .....

प्ररूप–6

(नियम 2 (छ) और 7(4) देखिए)
पहचान पत्र

पहचान पत्र का सम्मुख भाग

मध्यप्रदेश राज्य शासन

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट .....
पहचान पत्र

कार्ड धारक
का छायाचित्र

पहचान पत्र संख्या : .....
नाम :.....
माता का नाम** : .....
पिता अथवा संरक्षक का नाम** : .....
लिंग : ...
जन्म तिथि : . ..... दिनांक/माह/वर्ष
अथवा
पहचान पत्र जारी करने के लिए आवेदन की दिनांक को आयु ..... वर्ष
प्रधिकारी के प्रमाण–पत्र का संदर्भ क्रमांक जिसके आधार पर यह कार्ड जारी किया गया:.....

पहचान पत्र का पृष्ठ भाग

**केवल किसी अवयस्क बच्चे के नाम कीदशा में
वर्तमान पता : .....
स्थानीय पता: .....
कार्ड जारी करने की तिथि : .....
जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर : .....
पदनाम: .....
जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर : .....

उपाबंध–1

.....में निर्दिष्ट आधिकारी के दस्तावेजों की निदर्शी सूची

अनुक्रमांक	आधिकारिक दस्तावेज का नाम
(1)	जन्म प्रमाण–पत्र
(2)	जाति/जनजाति प्रमाण–पत्र
(3)	किसी स्कूल, बोर्ड, कालेज, विश्वविद्यालय अथवा ऐसे किसी अकादमिक संस्थान द्वारा जारी कोई शिक्षा प्रमाण–पत्र
(4)	निर्वाचन फोटो पहचान पत्र
(5)	आधार कार्ड
(6)	स्थायी खाता संख्या (पैन)
(7)	ड्राइविंग लाइसेंस
(8)	बीपीएल राशन कार्ड
(9)	फोटो सहित पोस्ट आफिस/बैंक पासबुक
(10)	पासपोर्ट
(11)	किसान पास बुक
(12)	विवाह प्रमाण–पत्र
(13)	बिजली/पानी/गैस कनेक्शन के कागजात
(14)	संपत्ति के कागजात
(15)	वाहन पंजीकरण
(16)	सेवा–पुस्तिका, नियोजन के कागजात
(17)	बार से संबंधित पहचान पत्र
(18)	पॉलिसी के कागजात

उपाबंध–2

विचारित की जाने वाली कल्याण योजनाओं की सुझाई गई सूचीः

1. **स्वास्थ्य तक पहुंच**
   (क) उभयलिंगी समुदाय को सभी एमटीएफ और एफटीएम पद्धतियों सहित सुरक्षित और निःशुल्क पुष्टिकरण सर्जरी, परामर्श और हार्मोन प्रतिस्थापन उपचार प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य में कम से कम एक शासकीय चिकित्सालय को सुसज्जित किया जाएगा।
   (ख) निजी चिकित्सालयों में उभयलिंगी व्यक्तियों से संबंधित एसआरएस की प्रक्रियाओं हार्मोन उपचार, लेजर उपचार, परामर्श और स्वास्थ्य से जुड़े अन्य मुद्दों को राज्य चिकित्सा बीमा कवर करेगा।
   (ग) चिकित्मा बीमा/आरोग्यश्री कार्ड।
   (घ) सभी स्वास्थ्य देखरेख सुविधा उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए अलग से वार्ड सुनिश्चित करेंगी।

2. **शिक्षा तक पहुंच**
   (क) उभयलिंगी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति।
   (ख) स्कूलों में समावेशी और समान गुणवत्तापरक शिक्षा जो समानता और लिंग विविधता के सम्मान को बढ़ावा देती हो।
   (ग) शिकायत निवारण प्रावधानों सहित शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग के विरुद्ध संरक्षण।
   (घ) आवासीय सरकारी विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में उभयलिंगी व्यक्तियों, जेंडर नॉन–कॉनफॉरमिंग और इंटर– सेक्स बच्चों के लिए आवास और शिक्षा की सुविधा।

3. **आवास तक पहुंच**
   (क) किफायती आवास
   (ख) संकटग्रस्त उभयलिंगी युवा के लिए आश्रय और सामुदायिक केंद्र, जो पौष्टिक भोजन तथा परामर्श उपलब्ध कराते हों।
   (ग) स्वच्छता सुविधाओं और सुरक्षित पेयजल तक पहुंच।

4. **कन्याणकारी उपाय**
   (क) खाद्य सुरक्षा योजनाओं तक सार्वभौमिक पहुंच और राशन कार्ड का उपबंध ।
   (ख) वृद्ध, अशक्त अथवा अन्य कमजोर उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए पेंशन।
   (ग) घर से बहिष्करण की समस्या से जूझ रहे उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रम और विश्राम गृह।
   (घ) उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए उत्पीड़न मुक्त स्थल सार्वजनिक परिवहन।

5. **आर्थिक सहयोग**

   (1) जीवन बीमा का सार्वभौमिक कवरेज।

   (2) ऋण सुविधा सहित बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच।

   (3) मनरेगा जैसी रोजगार गारंटी योजनाओं और सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में उभयलिंगी व्यक्ति का स्पष्ट समावेश।

   (4) आजीविका कार्यकलापों के लिए स्व–सहायता समूहों का गठन।

   (5) शून्य–ब्याज और अन्य सूक्ष्म–वित्त योजनाओं के उपबंध।

NOTICE

The following draft of Rules which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 22 of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 (40 of 2019) is hereby published as required by sub-section (1) of the said section of the Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objections or suggestions may be submitted at the office of Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Social Justice and Disabled Persons Welfare Department, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government, namely:-

DRAFT OF RULES

1. Short title and commencement. –

(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Transgender Person (Protection of Rights) Rules, 2021.

(2) They shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definition.-

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 (40 of 2019);

(b) "affidavit" means self-attested affidavit in Form - 2 to be submitted by an applicant seeking certificate of identity in their self-identified gender;

(c) "applicant" means a transgender person who submits an application under rule 3;

(d) "application" means the application form as provided in Form - 1;

(e) "any official documents" means and includes all documents listed in Annexure 1, which the State Government may revise, by notification in the Official Gazette;

(f) "Appellate Authority" means the Divisional Commissioner (Revenue);

(g) "Certificate of Identity" means a certificate issued by the District Magistrate under section 6 or section 7 of the Act in Form - 3 or Form - 4 respectively;

(h) "discrimination" means any distinction, exclusion or restriction on the basis of gender identity and expression which has the purpose or effect of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise, on an equal basis with others, of all human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field and includes all forms of discrimination, including denial of reasonable accommodation;

(i) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(j) "Identity Card" means a photo identity card issued to a transgender person mentioned in Form- 5 under section 6 or issued in Form- 6 to a transgender person on change of gender under section 7 on the basis of ccrtificate of identity" issued by the District Magistrate or an identity card to a transgender person issued by a State authority prior to the coming into force of these rules;

(k) "medical institution" means any medical institution whether hospital or clinic, private or public, in rural areas or urban or overseas;

(l) "procedure' means procedure to be adopted by District Magistrate for issue of certificate of identity under section 6 or section 7;

(m) "section" means section of the Act;

(n) "State" means the State of Madhya Pradesh.

(2) All other words and expressions used herein but not defined herein and defined in the Act shall have the same meaning assigned to them in the Act.

3. Application for issue of certificate of identity.-

(1) A transgender person desirous of obtaining a certificate of identity shall make an application as prescribed in Form - 1.

(2) The application shall be submitted to the District Magistrate in person or by post till online facilities are developed by the State Government and there after the application shall be made:

Provided that the State Government may undertake measures, as it deems necessary, to facilitate the submission of applications for certificate of identity by transgender persons living in remote areas or disadvantaged conditions:

Provided further that in case of a minor child, such application shall be made by a parent or guardian of such minor child and in the case of a child in need of care and protection by the competent authority under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

(3) Such transgender person who has officially recorded change in gender, whether as male, female or

transgender, prior to the coming into force of Act shall not be required to submit an application for certificate of identity under these rules:

Provided that such person shall enjoy all rights and entitlements conferred to a transgender person under the Act.

(4) The State Government shall submit the application for identity certificate by Transgender persons residing in remote areas or in deprived conditions to Sub-Divisional Officer (Revenue), Tehsildar, Naib Tehsildar.

4. Procedure for issue of certificate of identity under section 6.-

(1) The District Magistrate shall, subject to its correctness get the application processed based on the affidavit submitted, declare the gender identity of any person in Form 2 but without any medical examination and issue an identification number to the applicant which may be quoted as proof of application.

(2) For the purpose of determination of the place of residence, the applicant shall be a resident of the area under the jurisdiction of District Magistrate for a continuous period of past twelve months as on the date of application and an affidavit to this effect shall be submitted in Form-2 and no additional evidence shall be called for.

5. Issue of certificate of identity for a transgender person under section 6.-

(1) The District Magistrate shall issue to the applicant, a certificate of identity in Form - 3 following the procedure provided in Rule 4 indicating the gender of such person.

(2) The said certificate of identity shall be issued within thirty days of receipt duly filled application along with the affidavit.

(3) The certificate of identity issued under sub-rule(1) shall be the basis to change the gender as well as the name and the photograph, if so necessitated, of the transgender person in all such official documents as provided in accordance with the gender specified in the said certificate of identity in Annexure-1.

(4) The District Magistrate shall at the time of issuance of the certificate of identity under sub-rule (1), issue a transgender identity card to the applicant mentioned in Form – 5.

(5) The transgender identity card shall be included by the State Government in their records for the purposes of public service.

(6) The authority that issued the official document, on an application made by an applicant under rule 3, shall change the name or gender or both of the applicant in the official documents within fifteen days of making of such application.

(7) Any official document wherein gender, name and the photograph of transgender are revised based on the said certificate of identity, shall bear the same serial or reference number as in the original official document of such transgender person who seeks change in the name or gender or both in the official documents:

Provided that all benefits that a transgender person was entitled based on an identity card, if any, issued by a State authority shall continue be enjoyed by that transgender person based on the certificate of identity issued under these rules.

6. Procedure for issuance of a certificate of identity for change of gender.-

(1) If a transgender person undergoes medical intervention to change sex either as a male or female, such person may apply in the Form-1, along with a certificate issued

to that effect by the Medical Superintendent or Chief Medical Officer of the medical institution in which that person has undergone the said medical intervention to the District Magistrate for the issue of a revised certificate of identity under section 7.

(2) The District Magistrate shall, on receipt of an application referred to in sub-rule (1) shall verify the correctness of the said medical certificate.

(3) For the purpose of determination of the place of residence, the applicant shall be a resident of the area under the jurisdiction of the District Magistrate for a continuous period of past twelve months as on the date of application and an affidavit to this effect shall be submitted along with the application in Form-1 and no additional evidence shall be called for.

7. Issuance of certificate of identity.-

(1) The District Magistrate shall issue a revised certificate of identity to the applicant mentioned in Form - 4 seeking change in gender under section 7, indicating the gender of such a person as male or female, as the case maybe.

(2) The District Magistrate shall issue the revised certificate under sub-rule (1) within fifteen days of its receipt.

(3) The certificate of identity issued under sub-rule (1) shall entitle the applicant to record or change the gender, photograph as well as the name, if so necessitated, of transgender person in all such official documents provided in Annexure 1, in accordance with the gender specified in the said certificate of identity as male or female, as the case may be.

(4) The District Magistrate while issuing the certificate of identity for change of gender shall simultaneously issue an identity card to the applicant mentioned in Form - 6.

(5) Issue of the certificate of identity and the identity card shall be included by State Governments in their records for the purpose of public service.

(6) The authority that issued the official document on an application made by an applicant under rule 3 shall change the name or gender or both of the applicant in the official documents within fifteen days of making of such application.

(7) Any official document wherein gender, name or photograph of transgender revised based on the said certificate of identity shall bear the same serial or reference number as in the original official document of such transgender person who seeks change in the name or gender or both in the official documents.

8. Communication of rejection of application.-

(1) In case of rejection of application made under rule 3, the District Magistrate shall inform the applicant the reason or reasons for such rejection.

(2) The District Magistrate may review the decision of rejection of the application based on a request by the applicant complying with the objections raised by District Magistrate made within thirty days from the date of such rejection.

9. Right to appeal.- The applicant shall have right to appeal within sixty days from the date of intimation of the rejection of the application, to the appellate authority as designated by the State Government for a final order.

10. Welfare measures, education, social security and health of transgender persons by Government.-

(1) The State Government shall review all existing educational, social security, health schemes, welfare measures, vocational training and self-employment schemes to include transgender persons to protect their

rights and interests and facilitate their access to such schemes and welfare measures framed by that Government.

(2) The State Government shall formulate educational, social security and health schemes and welfare schemes and programmes as specified in Annexure II in a manner to be transgender sensitive, non-stigmatizing and non-discriminatory to transgender persons.

(3) The State shall take adequate steps to prohibit discrimination in any Government or private organization, educational institution under their purview and shall ensure equitable access to social and public spaces, including burial grounds.

(4) The State Government shall create institutional and infrastructure facilities, including but not limited to, rehabilitation centre referred to in sub-section (3) of section 12 of the Act, separate human immuno deficiency virus sero-surveillance centers, separate wards in hospitals and washrooms in the establishment, within two years from the date of coming into force of these rules to protect the rights of transgender persons.

(5) The State Government shall carry out an awareness campaign to educate, communicate and train transgender persons to avail themselves of the benefits of welfare schemes, educate and train transgender persons on their rights, eradicate stigma and discrimination against transgender persons and mitigate its effects.

(6) The State Government shall also provide for sensitization of teachers and faculty in schools and colleges under their purview, such as-

(a) Changes in the educational curriculum foster respect for equality and gender diversity;

(b) Sensitization of health care professionals;

(c) Changes in the curriculum for medical education; and

(d) Sensitization programmes in workplaces.

(7) All educational institutions shall have a committee where the transgender persons may approach in case of any harassment or discrimination, with powers to ensure that transgender students do not have to be affected by the presence of the persons bullying them, including teachers.

(8) The State Government shall create institutional and infrastructure facilities, including but not limited to, temporary shelters, short-stay homes and accommodation, choice of male, female or separate wards in hospitals and washrooms in the establishment within two years from the date of coming into force of these rules to protect the rights of transgender persons.

(9) A State Transgender Welfare Board and District Transgender Welfare Board shall be constituted for the purpose of the schemes and welfare measures made by the State Government.

(a) The State Transgender Welfare Board.-

(i) The State Transgender Welfare Board shall be constituted as follows:-

1.	Honorable Minister, Government of Madhya Pradesh, Social Justice and Disabled Persons Welfare Department	Chairperson
2.	Additional Chief Secretary/Principal Secretary / Secretary, Social Justice and Disabled Persons Welfare Department	Member secretary
3.	Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, General Administration Department, Home Department, Jail Department, Finance Department, Panchayat and Rural Development Department, Backward Classes and Minorities	Member

	Welfare Department, School Education Department, Department of Public Health and Family Welfare, Medical Education Department, Department of higher education, Technical Education Department, Department of Culture, SC Welfare, Tribal Welfare Department, Department of Revenue, Commerce, Industry and employment Department, Labor Department, Urban Development and Environment Department, Law and legislative Affairs Department, Department of Planning, Economics and Statistics, Women and Child Development Department, Public Works Department, Department of Food Civil Supplies and Consumer Protection, Department of Public Relations	
4.	Five representatives from transgender community	Member
5.	Two social workers working for the welfare of transgender community	Member
6.	One representative of State Women's Commission	Member
7.	One representative of Madhya Pradesh Human Rights Commission	Member
8.	Commissioner/Director, Social Justice and Disabled Welfare Persons Department	Member

(ii) The meetings of the State Level Transgender welfare Board shall be held twice in a year and one third of the members shall make the quorum of the meeting.

(b) The District Transgender Welfare Board.-

(i) The District Transgender Welfare Board shall be constituted as follows:-

1.	Collector	Chairman
2.	Superintendent of Police	Member secretary
3.	Chief Executive Officer, District Panchayat	Member
4.	Chief Medical and Health Officer	Member
5.	District Education Officer	Member
6.	Commissioner/Chief Municipal Officer, Municipal Corporation / Municipality	Member
7.	General Manager District Industry Trade Center	Member
8.	Nodal College, Higher Education	Member
9.	District Program Officer Women and Child Development	Member
10.	District Lead Bank Manager	Member
11.	Project Officer, Urban Development Agency	Member
12.	Assistant director, backward class / minority	Member
13.	Assistant Commissioner, Tribal Development Department	Member
14.	District Employment Officer	Member
15.	Executive engineer of the Public Works Department	Member
16.	Assistant Labour Officer, Labour Department	Member
17.	Assistant Director of the Institutional Finance	Member
18.	District Supply Controller/Officer of the Food Department	Member
19.	District Public Relations Officer of the of the Public Relations Department	Member
20.	Four representative members of a transgender community	Member
21.	Two social workers working for the welfare of the transgender community.	Member
22.	Joint Director / Deputy Director , Social Justice and Disabled Welfare Department	Member secretary

(ii) The meetings of the District level Transgender Welfare Board meetings shall be held four times in a year. The quorum of the meeting shall be one third.

The details of the action taken in the meeting shall be sent to the State Government / Directorate, Social Justice and Disabled Welfare Department.

11. Provisions against non-discrimination.-

(1) The State Government shall make adequate measures to prohibit discrimination in Government or private organization or establishment including in the areas of which includes the field of education, employment, healthcare, public transportation and participation in public life, sports, leisure and recreation and opportunity to hold public or private office.

(2) The State government shall within two years from the date of coming into force of these rules formulate a comprehensive policy on the measures and procedures necessary to protect transgender persons in accordance with the provisions of the Act.

(3) The policy formulated under sub-section (2) shall include precautionary and preventative administrative measures and police to help and protect vulnerable transgender communities.

(4) The State Government shall be responsible for the supervision of timely prosecution of individuals charged under section 18 of the Act.

(5) State Government shall set up a Transgender Protection Cell under the charge of the District Magistrate and Director General of Police to monitor cases of offences against transgender persons and to ensure timely registration, investigation and prosecution of cases under section 18 of the Act.

12. Equal opportunities in employment.-

(1) Every establishment shall implement all measures to ensure non-discrimination against any transgender person in any matter relating to employment including,

but not limited to, infrastructure adjustments, recruitment, promotion and other related issues.

(2) Every establishment shall publish an Equal Opportunity Policy for transgender persons.

(3) The establishment shall display the Equal Opportunity Policy preferably on their website, failing which, at conspicuous places in their premises.

(4) The Equal Opportunity Policy of a private establishment shall, inter alia, contain details of -

(a) Infrastructural facilities (such as unisex toilets), measures put in for safety and security (transportation and guards) and amenities (such as hygiene products) to be provided to the transgender persons so as to enable them to effectively discharge their duties in the establishment;

(b) Applicability of all rules and regulations of the company regarding service conditions of employees;

(c) Maintaining secrecy of identity of employees' gender;

(d) Details of the complaint officers.

13. Grievance redressal.-

(1) It shall be ensured by the State Government that every establishment designates a complaint officer in accordance with rule 11 within thirty days from the date of coming into force of notification of these rules.

(2) The complaint officer shall act upon the complaints received within two days from the date of receipt of such complaints.

(3) The head of the establishment shall take action forthwith in such cases where action has not been taken in accordance with the above time limits.

(4) The State Government shall also establish a grievance redressal mechanism within one year, which shall operate through helpline and outreach centers, for ensuring proper implementation of the provisions of Chapter V of the Act with special reference to sub-sections (1) and (2) of section 12 of the Act.

(5) The grievance redressal system shall resolve the grievances within thirty days from the date of bringing of such grievance to the helpline, and shall be competent to impose penalties as laid down in section 18 of the Act.

14. National Council.–

(1) The National Council shall be responsible for coordination with the National Council on matters of monitoring, review and evaluation of transgender welfares and protection of rights at the State and local levels.

(2) National Institute of Social Defence shall act as the secretariat in the National Council to facilitate the discharge of its functions.

Form – 1

[See rules 2(d), 3(1) and 6(1)]

Application form for issuance of transgender Certificate of Identity

* Strike out whichever is not applicable)

To, The District Magistrate, District ..... Madhya Pradesh Subject: Application for issuance of a transgender Certificate of Identity		
1	**Name**	
(i)	Name (in capital letters)	
(ii)	Changed/Chosen name (in capital letters)	
(iii)	Out of (i) and (ii), name to be printed in the certificate of identity and in the identity card	
2	**Gender**	
(i)	Assigned at birth	
(ii)	Requested in the application	
3	**Date of birth**	dd/mm/yyyy
4	**Educational qualification**	
5	**Present address**	
6	**Permanent address**	
7	**If there is a source of income, the annual income**	
(i)	Under Rs 1,00,000	Yes / No
(ii)	Between Rs 1,00,001 and 3,00,000	Yes / No
(iii)	Above Rs 3,00,000 Please specify the amount:	
8	**Do you have any of the following documents? If so, please submit self- attested photocopies of the certificates stated below.**	
(i)	Date of birth certificate	Yes / No
(ii)	Aadhaar card	Yes / No
(iii)	PAN card	Yes / No
(iv)	Election Voter Identity Card	Yes / No
(v)	Ration card	Yes / No
(vi)	Passport	Yes / No

(vii)	Bank passbook (viii)	Yes / No
(viii)	MNREGA Card	Yes / No
(ix)	Caste certificate (SC/ST/OBC/Others)	Yes / No
9	**Medical history (for those applying under section 7 of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019**	
(i)	Have you undergone any medical intervention in the context of transgender transition?	Yes/No
(ii)	Please give details	
(iii)	Name and complete address of the Hospital or medical institute	
(iv)	Name of the issuing authority along with the date	
(v)	Any other medical status you would like to share	
(vi)	Have you been issued any certificate of identity under Section 6 and Section 7 of the Act, or any other ID Card issued by the State Authority before the commencement of these Rules? If so, enclosed the same.	
10	Any other information you would like to give	
11	Have you attached affidavit prescribed in Form –2 of the Transgender Persons(Protection of Rights) Act, 2019 under Transgender Persons (Protection of Rights) Rules, 2021	
12	Have you attached the passport size photographs?	Yes/No

Enclosed: documents as mentioned in the application

Declaration

1. I declare that the particulars furnished by me are true and correct.
2. Information provided in this application will be treated as confidential and shall not be shared with any person or organization except the Central and / or State security agencies or any other agency as provided by Law; and for statistical and policy framing purposes.

Place: Signature or left hand thumb impression of

Form – 2

[See rules 2(b) and 4(1)]

Format of affidavit on Non-judicial stamp paper of Rs.10/- to be submitted by a person applying for certificate of identity

Civil, District ....., Madhya Pradesh

I, ...(Name), son/daughter/ward/spouse of ... . (name of the parent/ guardian / husband), ... age (in completed years), residing at .... (address), (Tehsil), (District), (State) (Pin code) do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. I am a resident of the above mentioned address and residing there continuously for the past 12 months.
2. I perceive myself as a transgender person whose gender does not match with the gender assigned at birth.
3. I declare myself as a transgender.
4. I am executing this affidavit to be submitted to the District Magistrate for issuance of certificate of identity as transgender person under Section 6 of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 under Rule Transgender Persons (Protection of Rights) Rules, 2021.

.* strike out whichever is not applicable.

Deponent
(Signature of the Applicant)

Verification

I, (Name), hereby state that whatever is stated here in above at serial numbers1 to 4 are true to the best of my knowledge.

Deponent
(Signature of the Applicant)

Tehsil
Date
Identified by me
Advocate Notary
Public

Before Me

Form – 3
[See rules 2(e) and 5(1)]

Certificate of Identity

Government of Madhya Pradesh

Office of the District Magistrate .....

Photograph of the certificate holder District Magistrate to attest the photograph

1. On the basis of the application dated ..... (dd/mm/yyyy) to the undersigned, it is certified that Shri /Smt / Ms . .....(name) son/ daughter / ward of Shri/ Smt. ..... (Name of the parent or Guardian) of resident of ..... (Complete residential address of the applicant) is a transgender person.
2. His / her birth name is . .....
3. This certificate is issued in terms of the provisions contained under rule 5 of Transgender Persons (Protection of Rights) Rules, 2021 read with section 6 of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019.
4. It is also certified that Shri / Smt/Km/Ms. ..... is ordinarily a resident at the address given above.
5. This certificate entitles the holder to change name and gender in all official documents of the holder.

Date ----------
Place----------

Signature of the District Magistrate:
Seal

Form – 4
[See rules 2(e) and 7(1)]

Certificate of Identity
to Transgender undergone medical treatment for change of gender

Certificate of Identity

Government of Madhya Pradesh

Office of the District Magistrate .....

Photograph of the certificate holder District Magistrate to attest the photograph

1. On the basis of the application submitted to the undersigned along with a medical certificate from the Medical Superintendent or Chief Medical Officer (name of the Hospital and complete address), it is to certify that Shri / Smt/ Km/ Ms..... (name) son/ daughter / ward of Shri/ Smt. .... (name of the parent or Guardian) resident of ... . (complete residential address of the applicant) has undergone medical intervention to change gender.
2. His/ Her birth name is . .....
3. This certificate is issued in terms of the provisions contained under rule 6 of the Transgender Persons (Protection of Rights) Rules, 2021 read with section 7 of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019.
4. It is also certified that Shri / Smt/ Km/ Ms ..... is ordinarily a resident at the address given above.
5. This certificate entitles the holder to change name and gender in all official documents of the holder.
6. Such change in name and gender and the issue of this certificate shall not adversely affect the rights and entitlements of the holder of this certificate.

Date ----------
Place----------

Signature of the District Magistrate:
Seal

Form – 5
[See rules 2(g) and 5(4)]
Identity Card

Front side of identity card

State Government of Madhya Pradesh
Office of the District Magistrate .....

Photograph of the Card holder

Identity Card

Identity card number .....
Name .....
Mother's name @ .....
Father's or Guardian's name @ .....
Gender Transgender
Date of birth dd/mm/yyyy

or

Age as on the date of application
for issue of Identity Card : -----years
Reference number of certificate of authority
on the basis of which this card is issued : .....

@ only in case of a minor child Name

Back side of the identity card

Present address ----------
Permanent address ----------
Card issue date ----------
Signature of the issuing authority ----------
Designation ----------
Seal of the issuing authority

Form – 6
[See rules 2(g) and 7(4)]
Identity Card
Front side of identity card

State Government of Madhya Pradesh
Office of the District Magistrate .....

Identity Card

Identity card number .....
Name .....
Mother's name @ .....
Father's or Guardian's name @ .....
Gender Transgender
Date of birth dd/mm/yyyy

Photograph of the Card holder

or

Age as on the date of application for issue of Identity Card : -----years
Reference number of certificate of authority on the basis of which this card is issued : .....

@ only in case of a minor child Name

Back side of the identity card

Present address ----------
Permanent address ----------
Card issue date ----------
Signature of the issuing authority ----------
Designation ----------
Seal of the issuing authority

Annexure- 1

Illustrative list of official documents referred to in ----------

S No	Name of the official document
(1)	Birth certificate
(2)	Caste/ Tribe certificate
(3)	Any education certificate issued by a school, board, college, university or any such academic institution
(4)	Election Photo Identity Card
(5)	Aadhaar Card
(6)	Permanent Account Number (PAN)
(7)	Driving Licence
(8)	BPL ration card
(9)	Post Office bank/ Bank Pass book with photo
(10)	Pass port
(11)	Kisan Pass book
(12)	Marriage certificate
(13)	Electricity / water/ gas connection paper
(14)	property papers,
(15)	vehicle registration
(16)	service book, employment papers
(17)	identity card related to bar,
(18)	policy papers

Annexure - II

Suggested list of welfare schemes to be considered:

1. Access to health

(a) At least 1 government hospital in every State shall be equipped to offer safe and free gender affirming surgery, counseling and hormone replacement therapy to the transgender community, including all MTF and FTM procedures.

(b) State medical insurance shall cover procedures of SRS, hormonal therapy, laser therapy, counseling and other health issues of transgender persons at private hospitals

(c) medical insurance/arogyashri cards.

(d) All healthcare facilities should ensure that there are separate wards for transgender persons.

2. Access to education

(a) Scholarship for transgender students.

(b) Inclusive and equitable quality education in schools that fosters respect for equality and gender diversity.

(c) Protection against ragging in the educational institutions with provisions for grievance redressal.

(d) Facilitation of accommodation and schooling for transgender, gender non conforming and intersex children in residential government schools and universities.

3. Access to housing

(a) Affordable housing.

(b) Shelters and community centres for at risk transgender youth that provide nutritious food and counseling.

(c) Access to sanitation facilities and safe drinking water.

4. Welfare measures

(a) Universal access to Food security schemes and provision of ration cards.

(b) Pension for aged, disabled or other vulnerable transgender persons.

(c) Old age and retirement homes for transgender persons facing housing exclusion.

(d) Public transport to have harassment-free zones for transgender persons.

5. Economic support

(1) Universal coverage of Life Insurance.

(2) Access to banking and financial services including loans

(3) Explicit inclusion of transgender persons in employment guarantee schemes such as MNREGA and all social security schemes.

(4) Formation into self help groups for livelihood activities.

(5) Provisions of zero-interest and other micro-finance schemes.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतीक हजेला, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2021.